न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा (राज0)

नाम पीठासीन अधिकारीः– श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी, तहसीलदार माण्डलगढ

प्रकरण संख्या 05/2019

दायर दिनांकः 14.10.2019

उनवान

1. महावीर पिता अमरा जाति मीणा उम्र बालिग निवासी जालम की झूपडिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा राजस्थान
2. गीता पुत्री अमरा जाति मीणा उम्र बालिग निवासी जालम की झूपडिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा राजस्थान
3. कैलाशी पुत्री अमरा जाति मीणा उम्र बालिग निवासी जालम की झूपडिया हाल लक्ष्मणगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा राजस्थान
4. श्रीमति छाउ पत्नि अमरा जाति मीणा उम्र बालिग निवासी जालम की झूपडिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा राजस्थान

––प्रार्थीगण

बनाम

1. नारायण पिता प्रभू जाति मीणा उम्र बालिग निवासी जालम की झूपडिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा राजस्थान
2. मैनेजर, अज.क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक श्यामपुरा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
3. मैनेजर, एस.बी.बी.जे. शाखा माण्डलगढ जिला भीलवाडा

––अप्रार्थी

अन्तर्गत वाद पत्र धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री महेश चंद्र सुखवाल :– अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री संजय चौहान :– अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः 24.11.2020

प्रकरण संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थीगणों ने जरिये अधिवक्ता महेश चंद्र सुखवाल के दिनांक 14.10.2019 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हम प्रार्थीगण अनुसूचित जन जाति (ST) के सदस्य है। प्रार्थीगण के के नाम पर ग्राम गुलगांव प0ह0 बीकरण तहसील माण्डलगढ के आराजी नं. 308/306 रकबा 07 बीघा भूमि रिकॉर्ड दर्ज है। अप्रार्थी ने संवत 2072 के आषाढ माह मे उक्त वर्णित भूमि आराजी नं. 308/306 की पश्चिमी दक्षिणी भाग पर 04 बीघा भूमि पर जबरदस्ती अवैध कब्जा कर प्रार्थीगण को बेदखल कर काश्त व भुगतभोग से वंचित कर दिया। संवत 2076 के आषाढ माह मे अप्रार्थी को उक्त अवैध कब्जा छोडने बाबत निवेदन किया गया तो अप्रार्थी ने उक्त कब्जा छोडने से इनकार कर दिया। प्रार्थीगण ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे उक्त वर्णित खातेदारी भूमि से अप्रार्थी को बेदखल कर कब्जा प्रार्थीगण को सपुर्द करने बाबत निवेदन किया है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ विवादित भूमि की जमाबंदी की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की है। प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक श्यामपुरा से विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट तलब की गई।

दिनांक 18.09.2020 को भू–अभिलेख निरीक्षक श्यामपुरा से विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम गुलगांव प0ह0 बीकरण तहसील माण्डलगढ के आराजी नं. 308/306 रकबा 07 बीघा प्रार्थीगण के नाम

तहसीलदार माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner

खातेदारी हक मे रिकॉर्ड दर्ज है। उक्त भूमि आराजी नं. 308/306 रकबा 07 बीघा मे से 04 बीघा भूमि पर अप्रार्थी नारायण पिता प्रभू जाति मीणा निवासी जालम की झूपडिया तहसील माण्डलगढ का कब्जा है। रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक श्यामपुरा को शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

दिनांक 09.10.2020 को अप्रार्थी नारायण पिता प्रभू जाति मीणा निवासी जालम की झूपडिया तहसील माण्डलगढ उपस्थित हुआ। अप्रार्थी की ओर से वकील संजय चौहान ने अधिकार पत्र प्रस्तुत कर जवाब हेतु समय चाहा गया। अप्रार्थी को जवाब हेतु पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया।

मेनें प्रार्थीगणो द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जमाबंदी की नकल, भू–अभिलेख निरीक्षक श्यामपुरा की मौका रिपोर्ट व सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थी वकील को पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक श्यामपुरा की मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि ग्राम गुलगांव प0ह0 बीकरण के आराजी नं 308/306 रकबा 07 बीघा मे से 04 बीघा भूमि पर अप्रार्थी का अवैध कब्जा है। अतः प्रार्थीगणो द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्याय संगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर भू–अभिलेख निरीक्षक श्यामपुरा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम गुलगांव प0ह0 बीकरण तहसील माण्डलगढ के आराजी नं. 308/306 रकबा 07 बीघा मे से 04 बीघा भूमि से अप्रार्थी नारायण पिता प्रभू जाति मीणा निवासी जालम की झूपडिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा को बेदखल कर कब्जा प्रार्थीगण को संभलाया जावे। निर्णय खुले न्यायालय मे उभयपक्ष अधिवक्ता की उपस्थिति मे सुनाया गया। निर्णय की पालना हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक श्यामपुरा को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुरेन्द्र सिंह चौधरी)
तहसीलदार, माण्डलगढ

Scanned with CamScanner